



Neutral Citation No. - 2026: AHC: 67467

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 10735 सन् 2026

अफ़ज़ल

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	: - अंबरीन मसरूर, सदरुल इस्लाम जाफ़री, वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	: - शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. श्री एन.आई. जाफ़री, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जो श्री अंबरीन मसरूर एवं श्री सदरुल इस्लाम जाफ़री, विद्वान अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त हैं, को आवेदक की ओर से सुना गया तथा श्री बी.पी. मौर्या, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से इस प्रार्थना सहित दाखिल किया गया है कि उसे मुकदमे की लंबित अवधि में, मुकदमा अपराध संख्या 01 सन् 2026, धाराएँ 318(4), 336(3), 338, 340(2) बी.एन.एस. तथा आई.टी. अधिनियम की धारा 66-C एवं 66-D के अंतर्गत, जो पुलिस थाना साइबर क्राइम, जिला मुजफ्फरनगर में पंजीकृत है, में जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी परोक्ष उद्देश्य से इस प्रकरण में असत्य रूप से फँसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि किसी गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने आवेदक एवं दो सह-अभियुक्तों, यथा मोनिस अली और मोहम्मद हाफ़िज को गिरफ्तार किया तथा उनके कब्जे से मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर जैसी कुछ आपत्तिजनक वस्तुएँ बरामद होना बताई जाती हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को उसकी स्वीकारोक्ति के आधार पर इस प्रकरण में फँसाया गया है और उसी दिन उसके विरुद्ध समान प्रकृति के पाँच अन्य प्रकरण पंजीकृत किए गए तथा आवेदक ने अपने आपराधिक इतिहास के उक्त पाँच

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रकरणों की व्याख्या की है और उसे उक्त पाँच प्रकरणों में अभियुक्त बनाया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि किसी निजी व्यक्ति ने कथित साइबर धोखाधड़ी के कमीशन के संबंध में कोई परिवाद दाखिल नहीं किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि एक वाहन, जो सह-अभियुक्त के संयुक्त कब्जे से बरामद हुआ था, संबंधित न्यायालय द्वारा मुक्त कर दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक 06.01.2026 से कारागार में बंद है और वह वचन देता है कि यदि जमानत प्रदान की जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में प्रकरणों की अत्यधिक लंबितता के कारण विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है तथा उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक और अन्य सह-अभियुक्तों के लैपटॉप एवं मोबाइल फोन में कूट जी.एस.टी. बिल और ई-वे बिल पाए गए हैं और उक्त व्यक्तियों पर कूट बिलों के आधार पर कूट ई-वे बिल तैयार करने में लिप्त होना बताया जाता है तथा उक्त व्यक्ति जी.एस.टी. की वापसी का दावा करते हैं।
5. आवेदक और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों को पुलिस द्वारा प्राप्त किसी गोपनीय सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और उनके कब्जे से कुछ आपत्तिजनक वस्तुएँ बरामद होना बताई जाती हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि किसी निजी व्यक्ति ने कथित साइबर धोखाधड़ी के कमीशन के संबंध में कोई परिवाद दाखिल नहीं किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि एक वाहन, जो सह-अभियुक्त के संयुक्त कब्जे से बरामद हुआ था, संबंधित न्यायालय द्वारा मुक्त कर दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक 06.01.2026 से कारागार में बंद है।
6. तथ्यों की समग्रता, अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य की प्रकृति पर विचार करने के उपरांत तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त प्रकरण पाता हूँ। अतः वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
7. उक्त प्रकरण अपराध में संलिप्त आवेदक **अफ़ज़ल** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए रु. 50,000/- के व्यक्तिगत मुचलके तथा उतनी ही राशि की दो-दो प्रतिभूतियों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्य प्रकट करने से विरत किया जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों को दबाव में नहीं लाएगा / उन्हें आतंकित नहीं करेगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (i) प्रकरण के उद्घाटन, (ii) आरोप विरचन तथा (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान अभिलिखित करने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिशः उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य हेतु नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं माँगेगा।(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से प्रकरण के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय, इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

31 मार्च, 2026

सी.एस./